न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 41/2007/225 आरटीए

1. पूर्णराम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. धन्नाराम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र भैराराम जाति माली निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. अशोक कुमार पुत्र भैराराम जाति माली निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. भैराराम पुत्र देवाराम जाति माली निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(फौत)।

––अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. रामचन्द्र पुत्र देवाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़(फौत)।
2. घनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रामनारायण पुत्र भैराराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.06.2007 न्यायाल उपखण्ड अधिकारी रावतसर
प्र0सं0 55/2002 अनवानी रामचन्द्र आदि बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री विकाश गौड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांक –09.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट सं. 5 व रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 15एएए आरटीए प्रस्तुत करने पर दिनांक 04.01.92 को उपखण्डाधिकारी नोहर द्वारा उन्हे प्रश्नगत भूमि मे खातेदारी अधिकार प्रदान किए जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 4 द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 28.03.2001 को निर्णित की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि इस मामले मे पुनः सुनवाई कर धारा 15एएए(3) आरटीए के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें एवं इस कार्यवाही मे अधिशेष घोषित भूमि के लिए नियमानुसार बालिग पुत्रों के प्रार्थना पत्र होने की दिशा मे विधिवत जांच कर संबंधित नियमों के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय से आवेदन पत्र प्रार्थीगण/अपीलांट बिना साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किऐ आवेदन पत्र एवं

बालिग पुत्रों को आवंटित किऐ जाने बाबत जारी आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय मात्र यह आधार लिया है कि प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य पत्रावली रिमाण्ड होने के पश्चात प्रस्तुत नही किऐ जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व प्रसारित निर्णय दिनांक 28.03.2001 मे भी स्पष्ट रूप से विवेचन कर यह अंकित किया है कि अगर प्री 55 की भूमि अगर प्री 55 के काश्तकार को सिलिंग सीमा के कारण आवंटित नही हो पाती है तो उस दशा मे संदर्भ तिथि को बालिग पुत्रों की जांच की जाकर बालिग पुत्रों के प्रार्थना पत्र पर आवंटन अधिकारी द्वारा ऐसी भूमि आवंटित किऐ जाने का प्रावधान किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कोई जांच नही की और ना ही रिपोर्ट आदि ली गई। प्री 55 के काश्तकार होने से एवं सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होने की सूरत मे अधिशेष भूमि रामचन्द्र व देवाराम के बालिग पुत्र आवंटन के पात्र थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विस्तृत जांच किऐ ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि मानने मे अहम भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात से प्रश्नगत भूमि पर लगातार कब्जा होना एवं संदर्भ तिथि को बालिग होना सिद्ध होता था। पत्रावली पर इस तथ्यो के विरोधस्वरूप कोई साक्ष्य नही होने से धारा 15एएए(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य था। अधिवक्ता अपीलांट ने फार्म नं. 3 के साथ प्रमाणित प्रति नकल दर0 रामकुमार मय पुस्त आदेश, प्रति पर्चा खतौनी चक 12 डीडब्ल्यूडी मु.न. 6, 10, 19, 22, 7 एवं प्रति पर्चा खतौनी चक 12 डीडब्ल्यूडी मु.न. 19, 22, 20, 21 प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर धारा 15एएए(3) का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 04.01.92 को धारा 15एएए आरटीए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई कि विचारण न्यायालय द्वारा 15एएए के अन्तर्गत 92 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जो नियम विरूद्ध है क्योंकि सम्वत 2012 मे प्रार्थीगण के नाम केवल 40 बीघा होना पाया जाता है। रामचन्द्र व भैराराम पि0 देवाराम जिनके कब्जे मे सन् 1955 से पूर्व की भूमि होना मानी गई एवं 35.11 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी होना बताया है। इस प्रकार

दोनो भाई दो यूनिट तक 66 बीघा भूमि ही रख सकते थे तथा 50.09 बीघा भूमि के लिए खातेदारी अधिकार मिल सकते थे तथा शेष भूमि को रकबा राज घोषित कर अधीशेष भूमि को बालिग पुत्रो के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार जांच कर खातेदारी जानी चाहिए थी। अपील प्रस्तुत होने पर अपील दिनांक 28.03.2001 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट सं. 5 व रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 15एएए आरटीए प्रस्तुत करने पर दिनांक 04.01.92 को उपखण्डाधिकारी नोहर द्वारा उन्हे प्रश्नगत भूमि मे खातेदारी अधिकार प्रदान किए जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 4 द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 28.03.2001 को निर्णित की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया कि इस मामले मे पुनः सुनवाई कर धारा 15एएए(3) आरटीए के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें एवं इस कार्यवाही मे अधिशेष घोषित भूमि के लिए नियमानुसार बालिग पुत्रों के प्रार्थना पत्र होने की दिशा मे विधिवत जांच कर संबंधित नियमों के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

6. जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आक्षेपित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि ''प्रार्थी रामचन्द्र के पास 47.01 बीघा व भैरा के पास 45.10 बीघा भूमि अ0का0 की होनी तथा रामचन्द्र के पास खातेदारी 17.10 बीघा व भैरा के पास खातेदारी 18.00 बीघा थी। दोनो प्रार्थीगण को पूर्व मे 25.00 बीघा कमाण्ड निःशुल्क तथा 25.00 बीघा कमाण्ड कीमतन की गई शेष भूमि भैरा की 20.10 बीघा व रामचन्द्र की 21 बीघा उनके बालिग पुत्रो को आवंटन कीमतन की गई, बालिग पुत्रो के संबंध मे कोई जांच नही की गई। प्रकरण मे विवादित दोनो के पास 112.01 बीघा बनती है। दोनो रामचन्द्र व भैरा सीलिंग सीमा तक करीबन 86.16 बीघा कमाण्ड कुल भूमि रख सकते है। आराजी काश्तत भूमि जो दोनो के पास सीलिंग सीमा से अधिक थी उसको 15एएए मे बालिग पुत्रो मे आवंटन की वह गलत की है। बालिग पुत्रों के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किया तथा विवादित भूमि प्री 55 की साबित करने मे प्रार्थीगण असफल रहे है। इस प्रकार बालिग पुत्रों का आवंटन जो 15एएए के फेसले मे किया है वह आवंटन निरस्त किया जाता है।'' जबकि पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि चक 12, 13 डीडब्ल्यूडी कुल 129.10 बीघा कमाण्ड भूमि के संबंध मे प्रकरण सं. 17/06 अनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र आदि मे सीलिंग सीमा के संबंध

चली कार्यवाही दिनांक 27.02.07 को यह अंकित करते हुये ड्रोप कर दी कि अप्रार्थीगण के परिवार मे दिनांक 06.04.73 को तहसील रावतसर के चक 12, 13 डीडब्ल्यूडी की कुल 129.10 बीघा कमाण्ड था जिसकी तुलना मे परिवार मे रामचन्द्र के परिवार मे स्वयं की प्राथमिक इकाई के अलावा तील बालिग लड़को की अतिरिक्त ईकाईयां व भैरा के परिवार मे प्राथमिक ईकाई के अलावा छः सदस्य थे जो कि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानो के अनुसार 129.10 बीघा कमाण्ड भूमि रख सकते है। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि प्री 55 संबंधी पर्चा खतौनी चक 12 डीडब्ल्यूडी मु.न. 6, 10, 19, 22, 7 एवं 19, 22, 20, 21 आदि प्रस्तुत किये है जिसमे भैराराम पुत्र देवाराम कौम माली साकिन रावतसर 1955 से पूर्व का पुख्ता, रामचन्द्र वल्द देवा कौम माली साकिन रावतसर 1955 से पूर्व का पुख्ता अंकित है। जिससे वादग्रस्त भूमि प्री 55 की होना साबित है। सीलिग प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट भी प्रेषित की गई जिसमे भी वादग्रस्त भूमि प्री–55 की होना अंकित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जे संबंधी गिरदावरी आदि प्रस्तुत की गई जिसमे वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलांटस का साबित है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रकरण मे इस न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रस्तुत रिकार्ड से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये लगाये गये आक्षेप समाप्त हो जाने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2007 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 04.01.1992 को बहाल किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2007 को अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 04.01.1992 को बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़